न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या:–29/2024

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।

–आवेदक

बनाम

श्री हरिराम सैनी पुत्र श्री शिम्भूराम सैनी, उम्र 30 वर्ष, (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स राजरथन मिष्ठान भण्डार, हरसौरा रोड चौराया, बानसूर (अलवर) निवासी ढाणी घोली कोठी, ग्रा० पो० दांतिल, तह० कोटपूतली (जयपुर)।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) /51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक:–20/1/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव कुमार गोयल द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.03.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2 (क) के क्रमांक 54 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475/10.08.2011 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 195/07.10.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 843/15.10.2014 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेशों की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

2. यह है कि दिनांक 12.03.2017 को सुबह 11:30 बजे वाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु जांच दल के साथ सामान नमूनीकरण बैग सहित मैसर्स राजस्थान मिष्ठान भण्डार, हरसौरा रोड चौराया, बानसूर (अलवर) स्थित पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर श्री हरिराम सैनी पुत्र श्री शिम्भूराम सैनी स्वयं मौजूद रहकर आमजन को खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री हरिसिंह सैनी एवं श्री यादराम जांगिड की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री हरिराम सैनी पुत्र श्री शिम्भूराम सैनी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ढाणी धोली कोठी, ग्रा० पो० दांतिल, तह० कोटपूतली (जयपुर) का होना बताया एवं पूछने पर स्वयं को उक्त खाद्य कारोबार का मालिक होना बताया। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन नं. 22216021000123 दिनांक 22.03.2016 से 21.03.2021 तक का जारी दिखाया।

3. यह है कि उक्त दुकान का निरीक्षण करने पर उक्त दुकान के काउंटर में स्टील की एक बडी ट्रे में आमजन को विक्री वास्ते रखी करीब 6 किग्रा मावा मिठाई (बर्फी) में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री हरिसिंह सैनी एवं श्री यादराम जांगिड की उपस्थिति में विक्रेता श्री हरिराम सैनी को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त ट्रे की मावा मिठाई (बर्फी) को हिलामिलाकर इनमें से 2 किलो मावा मिठाई (बर्फी) वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री हरिराम सैनी को रु 500/– (अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. हुए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 किग्रा मावा मिठाई (बर्फी) को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा मिठाई (बर्फी) को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. बी–3508 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता श्री हरिराम सैनी के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

अति. जिला कलक्टर

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं0 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त मावा मिठाई (बर्फी) के नमूने की जांच रिपोर्ट मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के पत्र क्रमांक 158 दिनांक 03.05.2017 के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानक स्तर के अनुसार नहीं होने से U/s 3(1)(zx) of fssa 2006 अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होंने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 346 दिनांक 29.09.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) मावा मिठाई (बर्फी) की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
11. प्रकरण इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में होने के कारण पत्रावली अपर जिला मजिस्ट्रेट अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। गैर सायलान की तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमर सिंह चौधरी उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया बाद में अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को उपिस्थत होने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नही

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

आये इसलिए अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

12. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की वहस सुनी गई। वहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अवमानक खाद्य पदार्थ मावा मिठाई (बर्फी) का विक्रय करके अप्रार्थीगण ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है इसलिए अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।

13. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सवस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा मिठाई (बर्फी) का विक्रय/निर्माण कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संवंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह सावित हो सके कि उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुए। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त/अप्रार्थी को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री हरिराम सैनी पुत्र श्री शिम्भूराम सैनी, उम्र 30 वर्ष, (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स राजस्थन मिष्ठान भण्डार, हरसौरा रोड चौराया, वानसूर (अलवर) निवासी ढाणी घोली कोठी, ग्रा० पो० दांतिल, तह० कोटपूतली (जयपुर) पर 25000/- पच्चीस हजार - ....शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर वैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 28.1.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली